

संकल्प

विषय:- स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के कुल-05 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा, सारण एवं श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल-366 पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप पूर्व से संचालित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा नवनिर्मित चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापकों की काफी कमी है, जिसके कारण चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS एवं P.G. सीटों की मान्यता पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना है।

2 अतः राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS सीटों पर नामांकन क्षमता बढ़ाने/पी०जी० पाठ्यक्रमों की मान्यता बनाये रखने/नये सीटों के सृजन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों पर आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना आवश्यक है।

3 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ में चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी है। साथ ही सत्र-2026-2027 से संचालित होनेवाले चिकित्सा महाविद्यालय यथा-सारण एवं समस्तीपुर में शैक्षणिक कार्य शुरू किये जाने एवं MBBS सीटों पर नामांकन हेतु चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।

4. राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल-26 विभागों के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल-1844 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अध्यायना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजी गयी है, जिसकी अनुशंसा प्राप्त होने में समय लगने की सम्भावना है।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 के द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थायी पदों के रिक्तियों पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से संविदा नियोजन करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक-15.09.2026 की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के कुल-05 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा, सारण एवं श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापक के रिक्त कुल-366 पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा-17) को भी उपलब्ध करायी जाय।

2

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मृणायक दास)

सरकार के अपर सचिव।

(17)

24.09.26

ज्ञापांक-17 / विविध1-26 / 2025 - 1260(17) / पटना दिनांक-

- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.09.2026 की बैठक के मद सख्या-09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24.09.2026
सरकार के अपर सचिव।
JH